

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला बैतूल


ज्ञाप क्रमांक/2100/मान्यता/2018

बैतूल दिनांक 06.06.2018

अनापत्ति प्रमाण पत्र

—000—

अशासकीय जमुना साहेब पब्लिक स्कूल चिचोली (जमुना साहेब शिक्षा समिति द्वारा संचालित) मान्यता कोड 3522913 तथा डाईसकोड 23350600118 हैं। यह जिला शिक्षा अधिकारी बैतूल द्वारा कक्षा पहली से कक्षा 6वी तक मान्यता प्राप्त हैं, एवं किसी अन्य बोर्ड की मान्यता प्राप्त करने में इस कार्यालय को कोई आपत्ति नहीं है।


जिला शिक्षा अधिकारी Education Office
Distt- Betul
/ जिला बैतूल


PRINCIPAL
JAMUNA SAHAB PUBLIC
SCHOOL, CHICHOLI
DISTT. BETUL (M.P.)
AFFILIATION NO. 1031091

संयुक्त सचिव

सी.बी.एस.ई.नई दिल्ली

विषय :- अशासकीय जमुना साहब पब्लिक स्कूल चिचोली की मान्यता के सम्बन्ध में ।

सन्दर्भ :- अशासकीय जमुना साहब पब्लिक स्कूल चिचोली का आवेदन दिनांक 28.05.2019

—00—


उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्रानुसार संचालक अशासकीय जमुना साहब पब्लिक स्कूल, चिचोली द्वारा सी.बी.एस.ई.से सम्बद्धता हेतु आवेदन किया गया है। वर्तमान में विद्यालय कक्षा नर्सरी से कक्षा 6वी तक मान्यता प्राप्त है। विद्यालय का मान्यता क्रमांक— 3522913 एवं डाईसकोड — 23350600118 है।

विद्यालय संचालक द्वारा वर्ष 2017 में मान्यता वृद्धि (कक्षा नर्सरी से कक्षा 8वी तक) हेतु आवेदन करना चाहा था किन्तु एज्युकेशन पोर्टल पर आवेदन के समय स्कूल की अंतिम कक्षा 6वी प्रदर्शित होने से ऑनलाईन आवेदन कक्षा नर्सरी से कक्षा 6वी तक की मान्यता के लिये लॉक कर दिया गया, चूंकि एज्युकेशन पोर्टल के माध्यम से कक्षा नर्सरी से कक्षा 6वी तक की मान्यता के लिये ऑनलाईन आवेदन प्राप्त होने पर इस कार्यालय द्वारा कक्षा नर्सरी से कक्षा 6वी तक की मान्यता वृद्धि (दिनांक 01.04.2017 से 31.03.2020 तक) तीन वर्षों के लिये की गई।

विगत वर्ष 2018 एवं वर्तमान वर्ष 2019 में स्कूल आई.डी.क्रमांक 47678 अनलॉक न होने से विद्यालय संचालक कक्षा नर्सरी से कक्षा 8वी तक की मान्यता वृद्धि हेतु आवेदन नहीं कर पाये। वर्तमान में विद्यालय कक्षा नर्सरी से कक्षा 8वी तक की मान्यता हेतु आवश्यक निर्धारित मापदण्डों की पूर्ति करता है।


विद्यालय की स्कूल आई.डी.अनलॉक करने के सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/1971/मान्यता/2019 बैतूल दिनांक 21.05.2019 द्वारा आयुक्त राज्य शिक्षा केन्द्र को पत्र लिखा गया था, चूंकि वर्तमान में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम अंतर्गत अशासकीय विद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया हेतु ऑनलाईन आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ है। ऐसी स्थिति में विद्यालय की स्कूल आई.डी.क्रमांक— 47678 को अनलॉक नहीं किया जा सका है। स्कूल आई.डी. अनलॉक होने पर विद्यालय संचालक से कक्षा नर्सरी से कक्षा 8वी तक की मान्यता वृद्धि का ऑनलाईन आवेदन प्राप्त होने पर विद्यालय का कक्षा नर्सरी से कक्षा 8वी तक की मान्यता वृद्धि के सम्बन्ध में निर्णय लिया जा सकेगा।

सादर सूचनार्थ प्रेषित।


28.5.19
जिला शिक्षा अधिकारी
जिला बैतूल
बैतूल दिनांक 28.05.2019

पृ. क्रमांक / 2118 / मान्यता / 2019
प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र म.प्र.भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. कलेक्टर महोदय जिला बैतूल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. संयुक्त संचालक लोकशिक्षण नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।


28.5.19
जिला शिक्षा अधिकारी
जिला बैतूल